392
14/9/12

खण्ड : 10 संख्या : 2

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(दशम् सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : 30 जनवरी 1989 ई०

रहने के कारण छात्रों को शिक्षा ग्रहण में कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार किमों प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमण करने का विचार रखती है; यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, मानव संसाधन विकास—मांडू प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, किमों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमण करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग को दे दिया गया है ।

पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई

ए-22. श्री टेक लाल महतो : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि झारखंड समन्वय समिति के केन्द्रीय निर्णय के अनुसार 26 जनवरी, 1988 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के पश्चात् झारखंड का हरा ध्वज फहराने को था;

(2) क्या यह बात सही है कि भारतीय संविधान में 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज के अलावे अन्य ध्वज फहराने का अधिकार है ;

(3) क्या यह बात सही है कि धनबाद, गोधर, रांची जमशेदपुर आदि स्थानों की तरह सिन्दरी में भी भूतपूर्व विधायक श्री आनन्द महतों एवं अन्य 10 व्यक्तियों को झारखंड का हरा ध्वज फहराने के कारण देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इसका क्या औचित्य है? क्या सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद का पालन करते हुए गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक,नहीं तो क्यों ?

श्री भागवत झा आजाद, मुख्यमंत्री : (1) प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 23 दिसम्बर, 1987 का झारखंड समन्वय समिति द्वारा 26 जनवरी, 1988 को राष्ट्रीय ध्वज के-स्थान पर "झारखंड राज्य" का ध्वज फहराने का निर्णय लिया गया था।

(2) भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्बन्ध में अलग से कानून है।

(3) दिनांक 26 जनवरी, 1988 का सिन्दरी में कल्पना टाकिज, शहरपुरा गोलम्बर के नजदीक तथा कथित "झारखंड राज्य" का झंडा फहराया गया। झंडा फहराने के साथ-साथ पर्चे बांटे गये तथा उत्तेजनातमक बाते जोर-जोर से कही गयी। इसे आसपास के लोगों ने प्रतिरोध किया एवं मारपीट की नौबत आ गयी। पुलिस तुरत मौके पर पहुंची तथा तथाकथित 'झारखंड राज्य' का झंडा फहराने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें श्री आनन्द महतो, भूतपूर्व विधायक भी सम्मिलित थे। इनके विरूद्ध सिन्दरी थाना कांड संख्या 09, दिनांक 26 जनवरी, 1988 धारा 143, 124 (ए), 152, 153 (बी), 353 भारतीय दंड विधान स्थापित किया गया।

(4) पुलिस पदाधिकारी ने कानून के तहत कार्रवाई की। अतः उनके विरूद्ध कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।